107

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी।

आदेश सं0....24..../2024 दिनॉकित 21.05.2024

आदेश

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त वादकारियों के हित को दृष्टिगत रखते हुये कार्य वितरण की निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है–

1– **थाना बनियाठेर** से संबंधित सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार, परिवाद एवं धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थनापत्रो की सुनवाई एवं दायरा, का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी से न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी में स्थानान्तरित किया जाता है।।

2– **थाना चन्दौसी एवं थाना बहजोई** से संबंधित परिवादो का दायरा एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी को प्राप्त होगा।

इस आदेश का प्रभाव माननीय उच्च न्यायालय या किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी बिशेष मामलें की सुनवाई के संबंध में पारित आदेश पर लागू नहीं होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष अधिनियम के मामलों से संबंधित, जिनका विशेष क्षेत्राधिकार केवल सी0जे0एम0 न्यायालय को ही प्राप्त होता है, उनका क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी को ही प्राप्त होगा।

यह आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के पश्चात् ही लागू होगा।

Archana 21/05/24

(अर्चना सिंह–प्रथम),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थान चन्दौसी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित–

1– माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय सम्भल स्थित चन्दौसी।
2– पुलिस अधीक्षक, सम्भल।
3– सिविल जज(सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, सम्भल स्थित चन्दौसी। 22/05/24 Reader
4– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी। 2215
5– वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, सम्भल।
6– समस्त बार संघ, जनपद सम्भल स्थित चन्दौसी।

Archana 21/05/24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

Approved. 22.5.24

District Judge Sambhal at Chandausi

22/5/24